

शिकारीपाड़ा में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन (जी.एस.एस.) के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन (योजना इ, खंड 1)

कार्यकारी / कार्यशील सारांश

विश्व बैंक के वित्तीय सहायता से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड झारखण्ड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जे. पी. एस. आई. पी. के तहत संचरण ढांचा निर्माण और उन्नयन को कार्यान्वित कर रहा है और इसमें शामिल होगा

क) 25 नए 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण

ख) लगभग 1800 किलोमीटर की संबंधित 132 के.वी. संचरण लाइनों का विकास इन 25 सबस्टेशन पर संबंधित संचरण लाइनों को 26 योजनाओं में विभाजित किया गया है। शिकारीपाड़ा ब्लॉक में प्रस्तावित नए 132 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन के योजना 1 के खंड 3 के तहत सम्मिलित किया गया है।

शिकारीपाड़ा में प्रस्तावित ग्रिड सबस्टेशन (जी.एस.एस.) जहाँ किया जाएगा, वह स्थाई रूप में परिवर्तन हो रहा है। यह वन भूमि से लिया गया है। निर्माण गतिविधियों के कारण एप्रोच सड़कों में वाहनों के चलने के कारण अस्थायी गड़बड़ी के कारण, पृथ्वी और मिट्टी के काटने और भरने से जुड़ी साइट तैयार करना का संचालन निर्माण के मशीनरी, उपकरणों और श्रमिकों की भागीदारी होगी।

परिचालन चरण के दौरान लगभग 16 से 20 कर्मचारी परियोजना स्थल पर रहेंगे। प्रतिदिन लगभग 8.4 किलोलीटर पानी की आवश्यकता होगी। जिसे परियोजना स्थल पर एक बोरवेल द्वारा पूरा किया जाएगा। नियमित आधार पर घरेलू अपशिष्ट और अपशिष्ट जल की थोड़ी मात्रा परियोजना स्थल से उत्सर्जित होगी। समय-समय पर खतरनाक अपशिष्ट की मामूली मात्रा भी उत्सर्जित होगी जिसका निपटारा नियमानुसार सेटिंग टैंक एवं सोकपिट के द्वारा किया जाएगा। आधारभूत अध्ययन हेतु सारठ और उसके आसपास के क्षेत्र का (2 किलोमीटर) अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिए सहायक स्रोतों से जानकारी एकत्र की गई तथा प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने हेतु स्थानीय समुदायों और अन्य संबंधित हित धारकों एवं हितग्राही के साथ परामर्श किया गया। समेकित रूप से यह आधारभूत अध्ययन दुमका जिले के पर्यावरण और सामाजिक परिवृश्टि का प्रतिबिंब है। नीचे दी गई तालिका में परियोजना स्थल के विशिष्ट पर्यावरण और सामाजिक आधार रेखा का वर्णन किया गया है:

पर्यावरण परिवेश	
इलाके और ढलान	सब स्टेशन समतल भूमि पर है। समोच्चा भूमि का अधिकतम एवं न्यू न्यूनतम अंतर 6 मीटर है और वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है।
मिट्टी	प्रमुख मिट्टी लेटरिफिक है।
एच.एफ.एल. डाटा	उच्चतम समोच्च (78 मीटर) सबसे कम समोच्च (72 मीटर) पर स्थित है।
वर्तमान जल निकासी पद्धति	परियोजना स्थल में जल निकासी कि सुविधा नहीं है।
आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण	प्रस्तावित सबस्टेशन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में लगभग 20 पत्थर कुचलने वाले (क्रेसर) कंपनी स्थित हैं। इस क्षेत्र में पत्थर कुचलने वाली (क्रेसर) प्राथमिक एवं सशक्त रूप से वायु में उत्सर्जित हो रही है। निरक्षण के दौरान सड़क में जगह – जगह गड्ढे पाए गए। जिसके कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ राजे है। परियोजना स्थल के उत्तर दिशा में (NH-114A) 420 मीटर पर स्थित है।
अन्य पर्यावरणीय संवेदनशीलता	यहाँ भारतीय वायु सेना कि परिव्यक्त हवाई पट्टी, है जो कलागच्छी गाँव के पीछे है। जिसका चहारदीवारी का निर्माण पूर्वी क्षेत्र की ओर हुआ है। इसके बीच बीच में कृषि भूमि भी है। परती भूमि पश्चिम दिशा कि ओर है। एक कृषि की धरा दक्षिणी चहारदीवारी कि ओर है।
सामाजिक परिवेश	

भूमि की स्थिति	भूमि पूर्णता भू राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार की है। यह झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को निःशुल्क दिया गया।
बस्तियों	कुछ बस्तियां अस्थाई हो सकते हैं। परियोजना स्थल से 400 मीटर दक्षिण दिशा पर पत्थरघड़ा है। बाकी कुरुन्दैन दक्षिण में, कालिपथर और धन्धरा पश्चिम में, कलागाच्ची पूर्व में हैं। कालिपथर और लालपाथारिन उत्तर में हैं।
धार्मिक और सांस्कृतिक से संबंधित संवेदनशीलता (पवित्र पेड़ों सहित)	परियोजना स्थल के आस - पास कोई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल साइट के अंदरया अंदर कोई पवित्र पेड़ों तत्काल में नहीं हैं।

बेसलाइन सर्वेक्षणों के अलावा, एक सामुदायिक परामर्श अभ्यास किया गया था। कालिपथर और पत्थरघड़ा आसपास के गांव में शुरू किया गया। यहाँ के ग्रामीणों के साथ सामाजिक एवं माध्यमिक जानकारी लेने करने के लिए गांव से परामर्श किया गया। गांव की आर्थिक स्थिति, सम्मान के साथ स्थानीय लोगों की धारणा एवं योजना बनाई जी.एस.एस. परियोजना के लिए और किसी भी मौजूदा निर्भरता की पहचान करने के लिए प्रस्तावित साइट पर स्थानीय समुदाय। इस गांव के निवासियों इस संबंध में चिंता दिखता है। आवासीय क्षेत्र से होकर नहीं गुजरेंगी ट्रांसमिशन लाइनें। उनलोगों को भी है इस परियोजना से रोजगार की उम्मीद है। परामर्श के दौरान यह पता चला यह जमीने राजस्व विभाग की है, एक तलब के आलावा जो की उत्तरी छोर पर है। परियोजना स्थल से वहित जल और विधुत प्रवाह हेतु टावर जो खेतों से होकर गुजरते हैं ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय है। इसके मुद्दे के अतिरिक्त जयदातर ग्रामीण परियोजना को धन्त्मक विवेक से देखते हैं।

प्रस्तावित परियोजना के संभावित और संबंधित प्रभाव को मानक प्रक्रियाओं का उपयोग करके पहचाना और मूल्यांकन किया गया पिछले परियोजना अनुभव पेशेवर निर्णय और दोनों परियोजना गतिविधियों के ज्ञान के साथ-साथ साइट और आसपास के पर्यावरण और सामाजिक स्थिति के मूल्यांकन के संदर्भ में शोध संदर्भों का उपयोग किया गया था।

वर्तमान सांस्कृतिक बंजर भूमि के आधारभूत संरचना भूमि में परिवर्तन को नगण्य प्रभाव माना जा सकता है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र के भीतर इस तरह के परिवर्तन जिसमें कृषि और वन भूमि उपयोग का काफी कम प्रतिशत में मौजूद है। वह न्यूनतम होगा साइट पर मौजूद मिट्टी और चट्टानी बहेरवा हूं को खोजने भरने से मृदा क्षण हो सकता है। जो आसपास की भूमि और जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है इसके अतिरिक्त यदि इन कारकों पर विचार करने के लिए उचित परियोजना संरचना तैयार नहीं किया जाता है। तो स्थलाकृति के परिवर्तन के कारण साइट के अंदर और आसपास स्थानीय जल निकासी प्रभावित हो सकती है।

भूमि से बुनियादी ढांचे के प्रकार के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन हो सकता है महत्वहीन प्रभाव माना जाता है। क्योंकि इस तरह की छोटी सीमा अध्ययन क्षेत्र के भीतर परिवर्तन, जिसमें काफी उपस्थिति है कृषि, बंजर भूमि और खुले स्कर्ब भूमि का उपयोग करता है का प्रतिशत, होगा न्यूनतम। खुदाई, काटने और मिट्टी और चट्टानी पतालगना के भरने पर मौजूद साइट कटाव और अपवाह के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, जो प्रतिकूल आसपास में प्रभाव हो सकता है। परियोजना जी.एस.एस. के पूर्व की ओर भूमि पार्सल और जल निकासी चैनल सीमा। इसके अलावा, साइट में और उसके आसपास स्थानीय जल निकासी प्रभावित हो सकती है साइट स्थलाकृति के परिवर्तन के कारण, यदि उचित साइट डिजाइन नहीं है इन कारकों पर विचार किया जाए।

लगभग 1 साल तक चलने वाले निर्माण चरण के दौरान निर्माण संबंधी गतिविधियों से हवा में धूल खंड उत्सर्जन वायु और शोर उत्सर्जन वाहन और निर्माण उपकरण श्रम शिविरों के घेरेलू अपशिष्ट जल का उत्सर्जन है (पत्थरघरा और कुरुन्दैन दक्षिण, कलिपथर, धन्धरा, कलागाच्ची, कालिपथर और लालपहारिन)। निर्माण करने के कारण पर्यावरणीय गुणवत्ता स्थानीय स्तर के निर्माण चरण के दौरान परियोजना निर्माण गतिविधियों में श्रमिकों की भागीदारी के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के उत्पन्न होने की उम्मीद है। बाहरी लोगों के प्रवास प्रवासी श्रमिक उप संविदा कार और आपूर्तिकर्ता के कारण मौजूद सामाजिक संरचना और आसपास के ग्रामीण समुदायों के साथ उनकी सहभागिता, यह संभवत सांस्कृतिक संघर्षों के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित महिलाओं और आबादी पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। साथ ही स्थानीय उप संविदा कारों के लिए व्यावसायिक अवसरों स्थानीय श्रमिकों के लिए कौशल अधिग्रहण और स्थानीय श्रमिकों और

कर्मचारियों की भर्ती से उत्पन्न रोजगार के अवसर सड़कों और पहुंच में सुधार जैसे सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की उम्मीद की जाती है।

परिचालन चरण के दौरान परियोजना से प्रतिकूल प्रभाव कम होने की उम्मीद है। जी.एस.एस. के किसी भी प्रकार के प्रदूषण या बिंदु स्रोत उत्सर्जन या निर्वहन की कोई योजना नहीं है। इस परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप कचरे की छोटी मात्रा में उत्पादन होने की उम्मीद है। जिनमें से कुछ जैसे अपशिष्ट तेल इत्यादि हानिकारक प्रकृति के हो सकते हैं और यदि यह सेल्फी में दर्शाए गए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को अपनाया जाए तो कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित परियोजना के महत्वपूर्ण प्रभाव के निराकरण के लिए विकसित समान उपायों को परियोजना अवध के दौरान कार्यान्वित किया जा सके एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना यस एमपी विकसित की गई है। यह सेल्फी सभी संबंधित और संभावित प्रभावों के प्रबंधन के लिए प्रबंधन रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है जो क्षेत्र के लोगों के पर्यावरण और रहने की स्थितियों को प्रभावित कर सकता है इन शमन उपायों और योजनाओं में शामिल है:

- सब-स्टेशन साइट ले आउट के लिए योजना और एक में पृथ्वी को काटने और भरने के लिए तरीका है, कि स्थानीय जल निकासी परेशान नहीं कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करना है कि आसपास के बस्तियों को नुकसान या परेशान नहीं किया जाता है।
- निर्माण गतिविधियों के दौरान स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम करने के लिए उचित इंजीनियरिंग और संबंधित सामान उपायों और योजनाओं को अपनाना।
- निर्माण कार्य में संलग्न संविदाकारों द्वारा उचित यह सुरक्षा उपायों और अच्छी प्रथाओं को अपनाया जाना।
- सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम स्वीकार्य स्तर पर बनाए रखा जाए। श्रमिकों को कार्य से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर अनिवार्य प्रशिक्षण भी लेना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों द्वारा पत्थरघरा और कुरुन्दैन दक्षिण, कलिपथर, धन्धारा, कलागाच्ची, कालिपथर और लाल्पहारिन एवं नजदिकी गांव के समुदायों के लाभ के लिए स्थानीय रोजगार और खरीद नीतियों को लागू करना सुनिश्चित करें।

यह सुनिश्चित करने के लिए के निर्माण चरण के दौरान ई एस एमपी लागू किया गया है। परियोजना संवेद के लिए अनुबंध के विशिष्ट शर्तों को निर्धारित किया गया है जिसे बोली प्रक्रिया दस्तावेज का हिस्सा बनाया जाएगा झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक ईएसएमपी निगरानी योजना स्थापित करेगा। ताकि योजनाबद्ध समान उपायों को लागू किया जा सके और प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जा सके। इसके अलावा एक उपयुक्त उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाएगा। जिसके माध्यम से समुदायों और प्रभावित लोग इस परियोजना से संबंधित अपनी चिंताओं को झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तक पहुंचा सकते हैं।

जेपीएसआईपी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, जेयूएसएनएल ने एक ढांचा विकसित किया है जो मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन) की अध्यक्षता में कार्यान्वयन इकाई (जे.पी.एस.आई.पी. पी.आई.यू.), के गठन के रूप में है। जे.पी.एस.आई.पी. पी.आई.यू. भी पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए होगी जिम्मेदार होगा। क्षेत्र स्तर पर, जेयूवीएनएल के देवघर सर्किल स्थित दुमका जोन के चीफ इंजीनियर, सह जीएम, जे.पी.एस.आई.पी. के तकनीकी पहलुओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। ई.एस.एम.पी. का कार्यान्वयन और पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों को ठेकेदार द्वारा अपनाया गया। इसके अलावा, यह सिफारिश की जाती है कि ठेकेदार कार्यान्वयन, उपपरियोजना पर्यावरण और सामाजिक कर्मियों की निगरानी के लिए शामिल होगा, पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों को धरातल पर लागू करना सुनिश्चित करेगा।

परामर्श और खुलासे की प्रक्रिया के माध्यम से, जे.पी.एस.आई.पी. यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना की जानकारी / प्रतिक्रिया हितधारकों को सूचित किया जाएगा। परियोजना के निष्पादन चरणों में समुदाय को एकीकृत किया जाएगा। एक परामर्श

दांचा इसमें शामिल होने के लिए तैयार किया गया है। परियोजना के योजना और कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में हित धारकों के शिकायतों के निराकरण हेतु एक त्रिस्तरीय शिकायत तंत्र प्रस्तावित किया गया है।